

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
के

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे
कार्यक्रमों के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित हैं –

(The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated
and the details of beneficiaries of such programmes)

परिषद् को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यालय संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य
सेक्टर के अन्तर्गत अनुदान 56 के तहत बांस एवं रेशा आधारित गतिविधियों हेतु धनराशि प्राप्त
होती है। इसके अलावा परिषद् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा निजी एजेन्सियों से
परियोजनायें प्राप्त कर उनका कार्यान्वयन किया जाता है.